भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1035

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कर्नाटक में एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि

†1035. श्री पी. सी. मोहनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की कर्नाटक के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक (एमबीबीएस) और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान कर्नाटक के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में वर्षवार और कॉलेजवार कितनी एमबीबीएस और पीजी सीटें जोड़ी गई हैं;

(ग) क्या सरकार 2027 तक नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक में नए एम्स या केंद्र द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा संस्थानों के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में मेडिकल सीटों के विस्तार में सहायता के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, संकाय और नैदानिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। इसमें उन अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के अंतर्गत, कर्नाटक के 04 मेडिकल कॉलेजों (चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरी और चिक्कबल्लपुर) सहित तीन चरणों में 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। सभी चार मेडिकल कॉलेज कार्यशील हैं।

देश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का चरणवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

एमबीबीएस (यूजी) सीटों और पीजी सीटों में वृद्धि हेतु मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन हेतु सीएसएस के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य को नौ (09) मेडिकल कॉलेजों में 550 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 660 करोड़ रुपये है और दो (02) मेडिकल कॉलेजों में 70 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 66.62 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" घटक के तहत, कर्नाटक में बेंगलुरु, बेल्लारी और हुबली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तीन (03) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, हाल के वर्षों में कर्नाटक राज्य में बढ़ी हुई यूजी/पीजी सीटों का विवरण निम्नानुसार है:

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
स्नातक सीटों की संख्या	800 (100 सरकारी + 700 निजी)	850 (200 सरकारी + 650 निजी)	700 (200 सरकारी + 500 निजी)	1800 (550 सरकारी + 1250निजी)
स्नातकोत्तर सीटों की संख्या	557 (182 सरकारी + 375 निजी)	236 (115 सरकारी + 121 निजी)	500 (225 सरकारी + 275 निजी)	587 (186 सरकारी + 403 निजी)

एनएमसी ने न्यूनतम मानक आवश्यकता यानी यूजी-एमएसआर और पीजी-एमएसआर तैयार किया है और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन -2023 को भी अधिसूचित किया है, जो देश भर के मेडिकल कॉलेजों में अवसंरचना और मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के मुद्दों का समाधान करते हैं। नव चिकित्सा संस्थान (संकाय अर्हता) विनियमन 2025 को संकाय की पात्रता और भर्ती के लिए अधिक समावेशी और योग्यता-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर योग्य संकाय के पूल का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य शिक्षण कर्मियों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना और शैक्षणिक और पेशेवर मानकों को पूरा करना है। इसके अलावा, जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों के लिए जिला अस्पतालों में तीन महीने का अनिवार्य रोटेशनल कार्यक्रम है, जिसे एनएमसी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विविध स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था और समुदाय आधारित देखभाल के बारे में उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव के बीच की खाई को पाटा जा सके।

*****

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1035 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिले
चरण-I (58)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3	असम	4	धुबरी, नागांव, उत्तरी लखीमपुर, दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया, सारण (छपरा),समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ़	2	राजनांदगांव, सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चम्बा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर)
7	हरियाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका, हज़ारीबाग़, पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	पश्चिम गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फ़ॉकवन
14	नगालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी
16	पंजाब	1	एसएएस नगर
17	राजस्थान	7	बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर
18	उतार प्रदेश।	5	बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बहराईच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)
चरण-II (24)			
1	बिहार	5	सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा, चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना
4	ओडिशा	1	जाजपुर
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फ़तेहपुर, सिद्धार्थनगर (डोमरियागंज), देवरिया, ग़ाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासात, उलूबेरिया, आरामबाग, झाड़ग्राम, तामलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिडुगुरल्ला, पाडेरु, मछलीपट्टनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ़	3	कोरबा, महासमुंद, कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिले
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर, हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरि, चिक्काबल्लापुरा
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार
10	मणिपुर	1	छुरछंदपुर
11	नागालैंड	1	मोन
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला, होशियारपुर
14	राजस्थान	15	अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ, हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर,कुशीनगर,सुल्तानपुर,गोंडा,ललितपुर,लखीमपुरखीरी, चंदौली,बुलंदशहर,सोनभद्र,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरि, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम, अरियालुर, कल्लाकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

*****